बाजार पर नजर

शेयर बाजार में आज

36981.77

BSE 200 Top5 Gainers

Scrip	Close	%Change
REC	150.70	6.24%
Tata Power	58.00	4.88%
RBL Bank	336.75	4.65%
GMR Infrastructure	15.55	4.36%
Power Finance Corp	108.50	4.33%

BSE 200 Top5 Losers

Scrip	Close	%Change
Indiabulls Ventures	155.55	-6.04%
Reliance Power	3.27	-5.76%
Info Edge	2057.40	-5.41%
Indiabulls Housing	425.75	-4.95%
DLF	154.20	-3.20%

फोरेक्स रेट

	मुद्रा	बिक्री
$	डॉलर	71.87
€	यूरो	79.34
¥	येन	67.27
£	पौंड	87.44

इन्दौर रात की धारणा

मूंगफली तेल इंदौर 1050–1070, राजकोट तेलिया 1670, गुजरात लूज 1050, इंदौर सोया रिफाइंड 748–748, सोया साल्वेंट 710–715, मुंबई रिफाइंड 750, डीगम 760, इंदौर पाम 672–78, मुंबई सींगदाना तेल 1070, गुजरात कॉटन 742, सरसों तेल 805, कॉटन रिफाइंड 792 रुपए प्रति दस किलो।

कपास्या खली

कपास्या खली (60 किलो भरती)–इंदौर 2250, देवास–उज्जैन 2250, खंडवा 2230, बुरहानपुर 2230, अकोला 3500 रुपए। कपास्या तेल इंदौर 735, महाराष्ट्र 730, गुजरात 740 रुपए।

जीएसटी कम किए बिना त्यौहारी सीजन में भी नहीं उठेगा वाहन उद्योग

सरकार के प्रोत्साहन पैकेज भी नहीं हैं पर्याप्त

विवेक झा, भोपाल

लंबे समय से बेहतरीन विकास दर्ज कर रहा भारतीय वाहन उद्योग कई कारणों से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा पिछले दिनों दिए गए प्रोत्साहन पैकेज ऑटो सेक्टर की नरमी को थामने के लिए काफी नहीं है और इस वर्ष बिक्री में करीब 12 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

यह कहना है भोपाल ऑटोमोबाइल्स डीलर वेलफेयर एसोसिएशन (बाडा) का। बाडा के अध्यक्ष आशीष पाण्डे ने बताया कि वाहन उद्योग पर 28 फीसदी जीएसटी लग रहा है, जो बहुत ज्यादा है। उन्होंनें बताया कि सरकार द्वारा लग्जरी आइटमों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब में लिया गया था, जबकि वाहन आम आदमी के आवश्यक इस्तेमाल की चीज है। इस पर जीएसटी कम किया जाना चाहिए, ताकि वाहनों की कीमत कम हो और लोगों को राहत मिले। पाण्डे ने बताया कि जब तक वाहनों पर जीएसटी कम नहीं होगी, त्यौहारी सीजन में इस उद्योग में उठाव नहीं आएगा।

जीएसटी और स्क्रैपेज पर नीति स्पष्ट करे सरकार

पाण्डे ने बताया कि यदि इस उद्योग को संकट से बाहर निकलना है और यदि त्योहारी माहौल को चूकना नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है कि अभी के अभी सरकार जीएसटी और स्क्रैपेज नीति को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

Saturday Special

जीएसटी व सेस की दौहरी मार

बाडा के महासचिव तहसीन खान ने बताया कि वाहन उद्योग व जीएसटी व सेस की दोहरी मार पड़ रही है। सरकार गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी व 20 फीसदी सेस वसूल रही है। अगर कोई कार 10 लाख की है तो उस पर ग्राहक को 48 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे गाड़ी की कीमत काफी बढ़ जाती है जो ग्राहक के गाड़ी लेने के फैसले का प्रभावित करती है। भारतीय मैन्युफैक्चर गाड़ियों को सेस से छूट दी गई है लेकिन सभी विदेशी मैन्यूफैक्चरर पर सेस लगता है।

वाहन उद्योग में सुस्ती के कारण

- उपभोक्ता मनोबल में गिरावट
- माहौल में अनिश्चितता
- नकदी उपलब्धता का न होना
- आर्थिक सुस्ती से मांग में गिरावट
- वाणिज्यिक वाहनों के एक्सल लोड में बढ़ोतरी
- बीएस–6 उत्सर्जन नियमों के पालन और मांग पर पड़ने वाले असर को लेकर अनिश्चितता।

ऑटो सेक्टर के लिए सरकार ने पिछले दिनों किए हैं ये ऐलान

- बीएस–4 वाहनों को अब मार्च 2020 तक खरीदा जा सकेगा और यह रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक चलाए जा सकेंगे।
- डिमांड बढ़ाने के लिए एक बड़े फैसले के तहत सरकार ने सरकारी विभागों की तरफ से पुराने वाहनों को बदलने के नई वाहनों की खरीद पर लगाए गए बैन को हटा लिया है।
- सरकार जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी भी लाएगी।
- ऑटो सेक्टर के लिए सरकार ने एक और बड़े एलान के तहत 15 फीसदी अतिरिक्त डिप्रिसिएशन को मंजूरी दे दी। यानी अब यह 30 फीसदी हो गया। सभी वाहनों पर यह मार्च 2020 तक लागू होगा।
- सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी का फैसला जून 2020 तक के लिए टाल दिया है।

जीएसटी में कटौती का मुद्दा राज्यों के वित्त मंत्रियों के समक्ष भी उठाएं : ठाकुर

वाहन कंपनियों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन

नई दिल्ली, भाषा

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को वाहन कंपनियों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का मुद्दा जीएसटी परिषद में शामिल राज्य के वित्त मंत्रियों के समक्ष भी उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। वाहन उद्योग के जीएसटी दर में कटौती की मांग के बीच उन्होंने यह बात कही है।

वाहनों के कल–पुर्जे बनाने वालों के संगठन के सालाना सम्मेलन में ठाकुर ने कहा, आपको पता है कि जीएसटी दर में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए पहले फिटमेंट कमेटी (समायोजन समिति) से और उसके बाद जीएसटी परिषद से मंजूरी लेनी होती है। मैं आप सभी से जीएसटी परिषद में शामिल राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलने और उनके समक्ष अपनी बात रखने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को कार विनिर्माताओं, डीलरों और संबंधित पक्षों से जीएसटी दर में कटौती को लेकर कई ज्ञापन मिले हैं।

ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने की मांग की गई है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे कंपनियों को रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर लिए गए लोन का इस्तेमाल दीर्घकालिक उद्देश्यों में करने में मदद मिलेगी। एक्मा के अध्यक्ष राम वेंकटरमानी ने कहा कि ऑटो पार्ट्स सेक्टर की ओर से हम सरकार से सभी कल–पुर्जों पर एक समान 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने की मांग करते हैं।

भारत में बनें ऑटो पार्ट्स, मंदी से निपटने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली, भाषा। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने कल–पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कुछ अन्य मुख्य कल–पुर्जे का देश में ही विनिर्माण शुरू करने का सुझाव दिया। मारुति सुजुकी ने कहा कि इससे इन कल–पुर्जों का आयात कम करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ मारुति को मदद मिलेगी बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को भी समर्थन मिलेगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनिचि आयुकावा ने यहां एक्मा के वार्षिक सम्मेलन में कहा, मैं आपको (कल–पुर्जा उद्योग को) एक चुनौती और एक सुझाव देता हूं। कल–पुर्जों के हिसाब से मारुति सुजुकी के वाहन 90 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी होते हैं। लेकिन कुछ मुख्य कल–पुर्जे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें अभी भी आयात करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये सामान में भारत में निर्मित हों।

निर्यात को बूस्ट देने पर जल्द होंगे अह्म ऐलान

जेम्स एवं ज्वैलरी सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली, भाषा

देश के निर्यात को बूस्ट देने के लिए सरकार जेम्स एंड ज्वैलरी समेत कई क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि इन उपायों पर बातचीत के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। विचाराधीन प्रस्ताव के रूप में, सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र में कंपनियों के टैक्स संबंधी लाभ को हटाने की समयसीमा बढ़ा सकती है।

सरकार ने 2016–17 के आम बजट में यह घोषणा की थी कि इनकम टैक्स संबंधी लाभ सेज की केवल उन्हीं नई इकाइयों को मिलेंगे, जो 31 मार्च 2020 से पहले कार्य करना शुरू कर देंगी। बता दें, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–जुलाई के दौरान निर्यात 0.37 फीसदी गिरकर 107.41 अरब डॉलर रह गया।

जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर के लिए सरकार रंगीन रत्न (पत्थर) और पॉलिश हीरों पर आयात शुल्क को घटाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में यह 7.5 फीसदी है। इसके अलावा, सरकार भारतीय एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम की ओर से निर्यात कर्ज के लिए मिलने वाले बीमा कवर को 60 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करने पर भी विचार कर रही है।

ऑटो शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 324 अंक उछला

मुंबई, भाषा। अमेरिका–चीन के बीच व्यापार युद्ध के नरम पड़ने की उम्मीदों और बैंकिंग, आईटी एवं ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में तेजी से बीएसई सेंसेक्स में शुक्रवार को 337 अंक का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 337.35 अंक बढ़कर 36,981.77 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 98.30 अंक यानी 0.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,946.20 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान, निफ्टी ऊंचे में 10,957.05 अंक और नीचे में 10,867.45 अंक तक गया।

सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी टेक महिंद्रा, मारुति, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) और कोटक बैंक के शेयरों में दर्ज की गई।

कंप्यूटर सेवाओं के घरेलू बाजार में वृद्धि का अनुमान

संयुक्त राष्ट्र, जेएनएन। भारत में कंप्यूटर सेवाओं के घरेलू बाजार में निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू बाजार को सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम तथा देश में उभर रहे स्टार्टअप माहौल से समर्थन मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने एक रिपोर्ट में कहा, भारत में कंप्यूटर सेवा उद्योग घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने में योगदान बढ़ा रहा है तथा इस दिशा में निर्यात से प्राप्त अनुभव का लाभ उठा रहा है। इसके साथ ही इस तरह के निर्यात पर अधिक निर्भरता को भी कम कर रहा है।

आईएफए सर्वे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टॉप व एचडीएफसी दूसरे क्रम पर

मुंबई, जेएनएन। वेल्थ फोरम एडवाइजर कांफिडेंस के 2019 के निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने और कम जोखिम के सर्वे में देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड शीर्ष पर रही है। जबकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड दूसरे क्रम पर रहा है। 4 बड़ी कैटेगरी में से तीन कटेगरी में आईप्रू शीर्ष पर रहा है। वेल्थ फोरम का यह 8 वां सर्वे देश के 45 शहरों के उन 245 स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार (आईएफए) के बीच किया गया, जो अपने शहर में शीर्ष 5 फीसदी में आते हैं। सर्वे में पिछले 6 सालों से लगातार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इक्विटी में शीर्ष पर रहा है। इस सर्वे में लंबी अवधि में इक्विटी में बेहतर रिटर्न देने के मामले में आईप्रू शीर्ष पर रहा, जबकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड दूसरे और मिरै तीसरे क्रम पर रहा।

डेट फंड से बेहतर रिटर्न देने के मामले में आईप्रू दूसरे पर और फ्रैंकलिन टेंपलटन पहले क्रम पर रहा। इसी तरह हाइब्रिड फंड्स से बेहतर रिटर्न देने में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहले क्रम पर और एचडीएफसी फंड दूसरे क्रम पर जबकि कोटक तीसरे क्रम पर था। सर्वे में यह पता चला कि जोखिम से संबंधित पैसों को सुरक्षित रखने में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहले क्रम पर है।

नये वाहन कानून के बाद डबल हुई ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस की बिक्री

नई दिल्ली, भाषा। नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद से देश भर के अलग अलग जगहों भारी चालान काटे जाने की खबरें आ रही हैं। कहीं स्कूटी का 23 हजार का चालान तो कहीं ट्रक का 59 हजार रुपए का चालान कटा है। फिलहाल अब धीरे धीरे वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल तोड़ने का डर देखा जा रहा है। इसी वजह से ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है. बता दें कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

बीमा की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी : रिपोर्ट के मुताबिक नये मोटर वाहन कानून के अमल में आने के बाद वाहन बीमा की ऑनलाइन बिक्री दोगुनी से अधिक बढ़ गई है। बीमा संबंधी ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी पॉलिसीबाजारडॉटकॉम ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि पिछले तीन दिनों में बिके वाहन बीमा में 90 फीसदी ऐसे लोगों ने खरीदे हैं जिनके वाहन बीमा की वैधता समाप्त हो चुकी थी।

रिन्यू कराने वालों की संख्या ज्यादा : कंपनी के मुख्य कारोबार अधिकारी (साधारण बीमा) तरुण माथुर ने कहा कि नये कानून के अमल में आने के बाद हम रोजाना करीब 30 हजार वाहन बीमा बेच रहे हैं। यह पहले की तुलना में दोगुना से अधिक है।

सोयाबीन और सोया तेल में दबाव

इंदौर, जेएनएन। विदेशी बाजारों से कमजोर संकेतों के कारण सोयाबीन पर दबाव देखने को मिला है। सोया तेल के भाव भी घटे हुए हैं, जबकि पाम तेल महंगा है। कमजोर एक्सपोर्ट मांग के कारण सीबॉट सोयाबीन में कल खासी गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा पैदावार बढ़ने की संभावना से भी सोयाबीन में कमजोरी आई है। कारोबारी कह रहे है कि मलेशिया से पाम तेल आयात पर 5 फीसदी सुरक्षा शुल्क लगने से पाम तेल की पड़तल ऊंची बैठ रही है। इंदौर मंडी में सोयाबीन की 2000 बोरी आवक है। सोयाबीन 3600–3650, प्लांट डिलीवरी 3700–50, सरसों 3550–3600, रायड़ा 3450 रु.

विदेशी बाजार में मलेशिया पाम 542.50, 545 व 567.50 डालर, केएलसीई 21 रिंगिट प्लस, शिकागो सोया डीगम 33 सेंट माइनस, रनिंग में 20 सेंट प्लस है। एनबॉट में सोया तेल सितंबर 748.35 रुपए।

म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.क.लि. सागर

आवश्यक सूचना

समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि भवन निर्माण करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिसूचना के अनुसार निम्नानुसार लाइनों से दूरी बनाए रखें। लाइनों से पर्याप्त दूरी न होने पर यदि विद्युत दुर्घटना घटित होती है तब उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

	समांतर दूरी	लम्बवत दूरी
1. एल.टी. लाईन	1.2 मीटर	2.5 मी.
2. 11 के.व्ही लाइन	1.2 मीटर	3.7 मी.
3. 33 के.व्ही. लाइन	2.0 मीटर	3.7 मी.

कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.क.लि. सागर

केनरा बैंक Canara Bank

क्षेत्रीय कार्यालय-14/15, धनलक्ष्मी टावर, मंदाकिनी सोसायटी, कोलार रोड, भोपाल फोन : 0755-2446714

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारी को निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि एवं सहित नोटिस प्राप्ति के 60 दिन की समयावधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।
ऋणी निर्धारित समय सीमा मे ऋण का भुगतान करने मे असफल रहा है। अतः ऋणी/जमानतदार एव सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम (8 एवं 9) के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणग्रहीता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए **केनरा बैंक की बकतरा शाखा** के अधीन होगा।
ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (**redeem** कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (13) एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी /बंधककर्ता/ जमानतदारों का नाम	बकाया राशि	मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक	कब्जा की गई संपत्ति का विवरण
ऋणी- **श्री निहाल सिंह चौहान**	₹ 967689/- + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	08-02-2019 / 03-09-2019	संपत्ति का समस्त भू भाग मकान नं. एलआईजी-2, बी- 232, वार्ड नं 18, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, होशंगाबाद संपत्ति मालिक - श्री मिश्रीलाल चौहान चर्तुसीमाएं- उत्तर- एल.आई.जी-2, बी-233, दक्षिण- एल.आई.जी-2, बी-231, पूर्व- रोड, पश्चिम- एल.आई.जी-2, बी-266
ऋणी-**श्री लक्ष्मी नारायण चौहान**	₹ 810983/- + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	26-07-2018 / 03-09-2019	संपत्ति का समस्त भू भाग स्थित सर्वे नं. 224/73, बरेली वार्ड नं. 1, पी.सी. 21, तहसील बरेली, संपत्ति मालिक - श्री लक्ष्मीनारायण चौहान चर्तुसीमाएं- उत्तर- मुकेश धाकड़ की जमीन, दक्षिण- रोड, पूर्व- कैलाश तिवारी की जमीन, पश्चिम- बालमुकुन्द का मकान

स्थान-भोपाल, दिनांक : 03/09/2019
प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) — ई-नीलामी सूचना

आर.आर. एण्ड एल क्लस्टर, भोपाल, प्रगति भवन, आई.पी.सी., एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल-462011 फोन : 0755-2575303

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **10.10.2019** को ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रतिभूत लेनदार की निम्नवर्णित खातों के समक्ष बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो को वसूल करने हेतु ''जहां है, जैसा है'', ''जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है। विक्रय अधोहस्ताक्षरित द्वारा ई-ऑक्शन प्लेटफार्म वेबसाइट **www.bankeauctionwizard.com** पर की जायेगी।

शाखा का नाम एवं ऋणी / जमानतदारों के नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि (सिक्योर्ड डेब्ट)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, अरेरा कालोनी, भोपाल -462016 फोन : 0755-2466177 E-mail : bm0932@obc.co.in			
ऋणी- **मेसर्स अतीन्द्र कंटेनर्स प्रा. लि.** ऑफिस : 118, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया -II, मण्डीदीप जिला-रायसेन - 462046 डायरेक्टर- श्री जितेन्द्र सिंह गौतम एवं श्रीमती पूर्णिमा सिंह **दोनों का पता:** 843, शाहपुरा सेक्टर-सी, भोपाल-462016	(1) बंधक संपत्ति फैक्ट्री भूमि एवं भवन स्थित 118, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-2, मंडीदीप (जिला-रायसेन) संपत्ति मालिक- अतीन्द्र कंटेनर्स प्रा. लि. क्षेत्रफल-15000 वर्गफिट चर्तुसीमाएं- पूर्व- रोड एवं प्लाट नं. 117, पश्चिम- प्लाट नं. 108, उत्तर प्लाट नं. 119, दक्षिण- प्लाट नं. 110 (2) फर्म के चल एवं अचल संपत्ति (प्लांट एण्ड मशीनरी) एवं अन्य उपकरण आदि । अधिभार- 223130/-	₹ 51,00,000/- / 5,10,000/- / 20,000/-	09.03.2018 / 20.03.2019 / 13 (2) माँग सूचनानुसार कुल बकाया ₹ 63,42,197.97 +दि. 01.03.2018 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च; वर्तमान बकाया दि. 31-08-19 को ₹ 74,18,896.97 + ब्याज एवं अन्य खर्च
ऋणी- **मेसर्स रेवा सुपर मार्केट** द्वारा प्रोपराइटर-श्री सत्येन्द्र सिंह चावड़ा पता- ई-8/5 एवं ई-8/6, शिव कुंज, 12 नं. स्टॉप, रेलवे कालोनी, भोपाल - 462016 (म.प्र.) जमानतदार- (1) श्री इन्द्रजीत सिंह चावड़ा पुत्र श्री सवाल सिंह चावड़ा (2) श्री जितेन्द्र सिंह चावड़ा पुत्र श्री सवाल सिंह चावड़ा (3) श्रीमती तेज कुंवर चावड़ा पत्नि श्री सवाल सिंह चावड़ा	डायवर्टेड भूमि स्थित खसरा नं. 239/2/1, प.ह.नं. 21, वार्ड नं. 15, नसरुल्लागंज, तहसील-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर (0.26 एकड़/11400 वर्गफिट) संपत्ति मालिक- संयुक्तरुप से श्रीमती तेज कुंवर चावड़ा पत्नि श्री सवाल सिंह चावड़ा, श्री इन्द्रजीत सिंह चावड़ा पुत्र श्री सवाल सिंह चावड़ा, श्री सत्येन्द्र सिंह चावड़ा पुत्र श्री सवाल सिंह चावड़ा, श्री जितेन्द्र सिंह चावड़ा पुत्र श्री सवाल सिंह चावड़ा चर्तुसीमाएं- पूर्व- रोड, पश्चिम- विक्रेता की जमीन, उत्तर- रोड, दक्षिण- रोड	₹ 40,00,000/- / 4,00,000/- / 20,000/-	31.08.2018 / 15.01.2019 / 13 (2) माँग सूचनानुसार कुल बकाया ₹ 35,56,473.67 +दि. 31.08.2018 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च; वर्तमान बकाया दि. 31-08-19 को ₹ 38,88,381.67 + ब्याज एवं अन्य खर्च
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, हमीदिया रोड, भोपाल -462001 फोन : 0755-4937444, E-mail : bm0136@obc.co.in			
ऋणी- **मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इण्डस्ट्रीज** प्रोप.-श्री दिलीप गिरधानी पुत्र स्व. श्री सहजूमल गिरधानी पता- (1) दुकान नं. 51, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के पास, हमीदिया रोड, भोपाल-462001 (म.प्र.) (2) खसरा नं. 91/2/1, प.ह.नं. 5, निशातपुरा, बैरसिया रोड, तहसील-हुजूर, भोपाल - 462001 (म.प्र.) जमानतदार- श्रीमती कांता देवी गिरधानी पत्नि स्व. श्री सहजूमल गिरधानी, मकान नं. डी-98, संत कंवर राम कालोनी, बैरसिया रोड, तह. हुजूर, भोपाल- 462001 (म.प्र.)	(1) बंधक संपत्ति फ्री होल्ड प्लाट खसरा नं. 91/2/1/1, प.ह.नं 5, निशातपुरा, बैरसिया रोड, रेलवे क्रासिंग के पास, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) क्षेत्रफल-13050 वर्गफिट, संपत्ति मालिक- श्रीमती कान्ता देवी गिरधानी पत्नि स्व. श्री सहजूमल गिरधानी चर्तुसीमाएं-पूर्व-बैरसिया रोड, पश्चिम- अन्य भूमि/ खुला, उत्तर- रेलवे की जमीन/लाईन, दक्षिण- भगवान दास एवं अन्य का प्लाट (2) कच्चा माल, स्टॉक इन प्रोसेस, तैयार माल एवं स्पेयर्स तथा रिसीवेबल्स का दृष्टिबंधक	₹ 1,55,00,000/- / 15,50,000/- / 20,000/-	11.09.2018 / 11.02.2019 / 13 (2) माँग सूचनानुसार कुल बकाया ₹ 181,34,825.55 +दि. 01.09.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च; वर्तमान बकाया दि. 31-08-19 को ₹ 2,02,83,541.55 + ब्याज एवं अन्य खर्च

ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय : 09.10.2019 को सायं 5 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय: 10.10.2019 को दोपहर 3.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
Detials of EMD A/c No. :07171181000028 A/c Name : EMD Auction under SARFAESI IFSC Code : ORBC0100717

नियम एवं शर्ते : (1) ई-नीलामी **''जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है''** के आधार पर की जायेगी।
(2) बैंक मे उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित ज्ञान के अनुसार उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियां किसी भी प्रकार की भार से मुक्त हैं। फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति पर ऋण भार, संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देय आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतन्त्र निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त करे।
(3) यदि बोली ई-ऑक्शन के अंतिम 05 मिनट के दौरान लगाई जाती है तो समापन समय स्वतः ही 05 मिनट बढ़ जाएगी (प्रत्येक के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने के पूर्व), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगा ।
(4) इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होंनें धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉग इन आई एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु, बिड दस्तावेज जमा करने हेतु, निःशुल्क प्रशिक्षण इत्यादि हेतु **Antares System Ltd.**, हेल्पलाईन नं : **080-49352000 प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार दुबे मोबा. 9686613726, 7666563870** हेल्पलाईन ई-मेल आई डी **manojkumar.d@etenderwizard.com** एवं **obceproc@gmail.com** एवं संपत्ति से संबंधित जानकारी हेतु **प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय कुमार बाजपेयी Mobile No.+ 91- 8585959543 & 0755-2575312** से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
(5) ई-नीलामी असफल होने की दशा में बैंक प्रायवेट ट्रीटी (करार) द्वारा संपत्ति को बेचने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताएँ स्वीकृत, अस्वीकृत एवं आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

सिक्यूरीटाइजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु वैधानिक सूचना
ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों को जानकारी हेतु वेबसाइट **www.obcindia.co.in** एवं **www.bankeauctionwizard.com** देखें।
दिनांक : 06.09.2019, स्थान- भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स